न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1005–पीबीआर/2012, विरूद्ध आदेश दिनाक 02–04–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 124/2010–11/निगरानी

प्रताप सिंह पुत्र श्री बालाराम, जाति लोधी,
निवासी–ग्राम मेहदौन, तहसील ग्यारसपुर,
जिला–विदिशा

..... आवेदक

विरूद्ध

1– लाखन सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह

2– माखनसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह नाबालिग बहैसियत सरपरस्त पिता भगवान सिंह निवासी–ग्राम मेहदौन, तहसील ग्यारसपुर, जिला–विदिशा

..... अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0बी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक / / को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला–विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-04–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि बरखेड़ी तहसील ग्यारसपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 19/2 रकबा 0.094 हे0 आवेदक के सरपरस्त दादा बालाराम के नाम भूमिस्वामित्व में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी तथा बालाराम को उक्त भूमि का विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था । दिनांक 06.06.2007 को बालाराम द्वारा आवेदक के पक्ष में विक्रयपत्र तैयार करके भूमि विक्रय कर दी । उक्त विक्रय की सम्पूर्ण जानकारी अनावेदक के सरपरस्त भगवान सिंह को भी थी । जिस समय उक्त भूमि का विक्रयनामा निष्पादित किया गया था उस समय भगवान सिंह ने पंचों के समक्ष अपनी सहमति प्रदान की थी । आवेदक के हक में किये गये नामांतरण कार्यवाही की भी अनावेदक को पूर्व से ही जानकारी भी राजस्व अभिलेख में बालाराम के स्थान पर आवेदक का नामांतरण होकर राजस्व अभिलेख में नाम अंकित हो जाने के पश्चात अनावेदक जिसने की विक्रय पत्र के समय सहमति दी थी के मन में द्वेष आ जाने के कारण आवेदक के पक्ष में किये गये नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । उक्त अपील में आवेदक ने यह आपत्ति जताई की कि अनावेदक को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विक्रय पत्र के समय पंचों के समक्ष अनावेदक ने सहमति दी है इसलिये सहमतिकर्ता को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । अनावेदक न तो उक्त प्रकरण में हितधारी पक्षकार है और ना ही उसका कब्जा है। इसलिये प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं है। अनावेदक द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 01.09.2007 के निर्णय के विरूद्ध जो अपील प्रस्तुत की गयी है वह अमान्य है। अनावेदक को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी होते हुए भी उन्होंने निर्धारित समया–अवधि में अपील प्रस्तुत न करते हुए गलत जानकारी का आधार लेते हुए यो समया–अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की है उक्त के संबंध मे अवधि अधिनियम की धारा 5 का जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उक्त आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन का विवरण दिये बगैर अवधि अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया है । इसीकारण अनावेद्क को अवधि अधिनियम धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अवधि अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र अस्पष्ट व सोची समझी साजिश होने के कारण आवेदक ने इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया था किन्तु उन तर्कों पर विचार न करते हुए और अवधि अधिनियम की धारा 5 एवं अनावेदक का अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है अथवा नहीं है इस बिन्दु का निराकरण किये बगैर ही अधीनरस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर विदिशा ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 02–04–2012 पारित किया है । उक्त पारित आदेश दिनांक 02–04–2012 से दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आवेदक द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया था कि अनावेदक विचारणीय न्यायालय में पक्षकार नहीं था और ना ही हितधारी व्यक्ति था इसलिये अनावेदक को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नहीं है परन्तु दोनों विचारणीय न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा उठाये गये इस बिन्दु का विश्लेषण किये बगैर ही और स्पष्ट आदेश पारित न करते हुये जो आदेश पारित किया है उक्त आदेश विधि व प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है । नामांतरण नियमों के अनुसार हितधारी व्यक्ति को ही सूचना पत्र जारी किया जाता है अनावेदक का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं था ना ही वह उक्त भूमि के भूमि स्वामी थे और ना ही उनके द्वारा आवेदक को भूमि विक्रय की गयी थी इसलिये उन्हें सूचना दिया जाना अवश्यक नहीं था । नामांतरण नियमों के अनुसार प्रकरण में विधिवत उदघोषणा जारी की गयी थी और उक्त उदघोषणा का विधिवत इश्तहार का निर्वाह होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति न आने से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की गयी है इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का यह मानना की नामांतरण नियम 27 का पालन नहीं किया गया है । अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर के न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत की गयी थी उक्त अपील समयावधि बाह्य अपील थी अनावेदक द्वारा अपील के साथ अवधि अधिनियम की धारा 5 का जो आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया था उसमें विचारणीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी का आधार ग्राम पटवारी से दिनांक 16.07.2009 को होना अंकित किया है जबकि अपने आवेदन पत्र के साथ वह दिनांक 16.07.2009 को पटवारी के पास क्यों गया इसका भी कोई स्पष्ट कारण उल्लेख नहीं किया और ना ही कोई खसरे की नकल प्रस्तुत की है । अनावेदक द्वारा महज अपील को अन्दर म्याद लाने के लिये जानकारी का दिनांक 17.07.2009 अंकित किया है और इस संबंध मे आवेदक द्वारा जबाव तथा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया था । अनुविभगीय अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय को आवेदक द्वारा प्रस्तुत जबाव पर जांच कर आदेश पारित करना चाहिये था परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई विचार न करते हुये प्रार्थी को निगरानी निरस्त करने का जो आदेश पारित किया है उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं अवधि अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी का प्रत्येक दिन का विवरण दिया जाना आवश्यक है अनावेदक को आदेश दिनांक 06.06.2007 की पूर्व से जानकारी थी और उसके द्वारा समयावधि बाहय अपील प्रस्तुत की है जिसमें उसके द्वारा प्रस्येक दिन का विलम्ब स्पष्टीकरण नहीं दिया और यह आपत्ति आवेदक द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाई गयी थी परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर कोई बोलता हुआ आदेश पारित न करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोवल यह लिखकर कि अवधि अधिनियम की धारा 5 में अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर के आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि न होने से आवेदक की निगरानी निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया है उक्त आदेश बोलता हुआ आदेश न होने से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । आवेदक द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के संबंध में जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है यदि अनावेदक, आवेदक के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर किये गये नामांतरण कार्यवाही से दुखी है तो ऐसे पक्षकार को सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करना चाहिये । राजस्व न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया जाना चाहिये और इसी आधार पर आवेदक विचारणीय न्यायालय द्वारा आवेदक

का नामांतरण स्वीकार किया है परन्तु दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक द्वारा इसी बिन्दु को कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर किये गये नामांतरण कार्यवाही की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है ; इस बिन्दु पर विचार किये बगैर ही आदेश पारित किया है । जहॉ तक किसी भी दोनों न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष विधि के विपरीत हो तब ऐसे समवर्ती निष्कर्षों को निगरानी में निरस्त किया जा सकता है इस प्रकरण में भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर विचार न करते हुये जो आदेश पारित किया है उक्त आदेश विधि के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–04–12 को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करने के पूर्व न तो कोई इश्तहार जारी किया और न नामांतरण पंजी पर अनावेदकगण के संरक्षक के न पिता के हस्ताक्षर करवाये । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरण नियम 27 का उल्लघन किया जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है । वादग्रस्त भूमि नामांतरण पंजी में ग्राम पटवारी द्वारा इश्तहार जारी करना और कोई आपत्ति प्राप्त न होना अंकित किया है और न तारीख तक आपत्ति पेश करने की तारीख भी अंकित नहीं। अंत में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर विदिशा द्वारा पारित आदेश न्यायासंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/ अभिलेखों का अवलोकन किया गया ; अभिभाषगण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नामांतरण पंजी क्र0 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश किसी भी पक्षकार की उपस्थिति में नहीं दिया गया है । आवेदक यह बताने में असफल रहा है कि अनावदक का उक्त आदेश की जानकारी कब और कैसे हुई । ऐसा आदेश जो किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में दिया गया हो उसे कभी भी चुनौती

दी जा सकती है । समयसीमा यहा पर बाधा नहीं बनती । अतः प्रतिदिन के विलम्ब का विवरण देना ऐसे पक्षकार के लिए आवश्यक नहीं है । समयावधि के बिन्दु पर दी गई छूट पर प्रथम निगरानी अपर कलेक्टर द्वारा इन्हीं कारणों से अमान्य की जा चुकी है । उसमें परिवर्तन के पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर